

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6) / (आर-150 / 2013) / अलेसे-III / 66

दिनांक :- 05/06/24

कार्यालय आदेश

श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II निदेशालय के आदेश क्रमांक 705 दिनांक 21.08.2023 के द्वारा निलम्बित कर मुख्यालय कोष कार्यालय सीकर निर्धारित किया गया था। श्री रविन्द्र कुमार को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री रविन्द्र कुमार द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को कोषाधिकारी, सीकर के पत्रांक स्थापना/2024/143 दिनांक 20.05.2024 द्वारा अग्रेषण के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(1)(ए)(i) के अनुसरण में श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति (संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सेवा नियम 53(1)(बी), 53(2) एवं 55 की पालना सुनिश्चित करने की शर्त पर) एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6) / (आर-150 / 2013) / अलेसे-III / 66
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 05/06/24

1. कार्यालय कोषाधिकारी, सीकर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
7713875



W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Introductory\7713875_8294607105704914563.docx:-1

Digitally signed by Bhupesh Kumar Mathur
Designation : Director
Date: 2024.06.04 15:26:23 IST
Reason: Approved